



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 455]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 16, 2010/श्रावण 25, 1932

No. 455]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 16, 2010/SHRAVANA 25, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 679(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'क' (साधारण ड्यूटी) अधिकारी भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में समूह "क" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह "क" (साधारण ड्यूटी) अधिकारी भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना -- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं -- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है ;

(ख) "श्रेणी" से काडर की श्रेणी अभिप्रेत है ;

(ग) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में क्रमशः उनका है ;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में उनके हैं।

4. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान -- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि -- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. **ज्येष्ठता** -- (1) उच्चतर रैंक धारण करने वाले सभी अधिकारी, निम्नतर रैंक धारण करने वाले अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे ।

(2) किसी विशिष्ट रैंक में किसी पद पर नियुक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता, उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

(3) उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समान रैंक धारण करने वाले अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थायी आदेश सं० 1/2009 तारीख 12 जनवरी, 2009 में अवधारित किए गए अनुसार होगी ।

(i) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधे नियुक्त किए गए राजपत्रित अधिकारियों और सीधे प्रविष्ट राजपत्रित अधिकारियों (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा कोटा) की ज्येष्ठता की गणना नियुक्ति की तारीख से, उस बैच का, जिसमें उनका चयन किया गया है, ध्यान किए बिना, उनके प्रशिक्षण बैच के प्रति निर्देश से की जाएगी और संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधे नियुक्त किए गए राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में नियुक्ति की तारीख से

साधारणतः प्रशिक्षण के आरंभ की तारीख अभिप्रेत है, जब तक अभ्यर्थी ने दिलंब से, परंतु प्रशिक्षण आरंभ होने के तीस दिन के भीतर, रिपोर्ट नहीं की है ।

(ii) प्रशिक्षण के बैच के भीतर, चाहे सीधे नियुक्त किए गए या सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त हो, परस्पर ज्येष्ठता, “केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955” के नियम 8 के उप नियम (ख) के खंड (ii) के अनुसार, मेरिट के आधार पर अवधारित की जाएगी और मेरिट से, चयन के समय प्राप्त किए गए अंकों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अकादमी में अंतिम परीक्षा (पासिंग आऊट) में प्राप्त किए गए अंकों का योग अभिप्रेत है :

परंतु सीधे नियुक्त किए गए राजपत्रित अधिकारियों और सीधे प्रविष्ट राजपत्रित अधिकारियों की ज्येष्ठता की गणना परिणामों के घोषणा की तारीख से और स्थानीय प्रोन्नत किए गए अधिकारियों की विभागीय प्रोन्नति समिति की, जिनसे उनको पैनलीकृत किया गया था, तारीख से की जाएगी ।

(iii) किसी विशिष्ट रैंक में पुनर्नियोजित अधिकारियों की ज्येष्ठता उस रैंक में उनके पुनर्नियोजन की तारीख से अवधारित की जाएगी ।

(iv) कोई सेवारत सैनिक अधिकारी किसी विशिष्ट रैंक के भीतर अपने और अन्य सैनिक अधिकारियों के बीच तथा भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी किसी विशिष्ट रैंक के भीतर अपने और भारतीय पुलिस सेवा के अन्य अधिकारियों के बीच अपनी ज्येष्ठता बनाए रखेगा ।

7. **नियुक्ति** -- केवल ऐसे अधिकारियों पर, जिन्होंने इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उस श्रेणी या श्रेणियों में नियुक्ति या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति के लिए तभी विचार किया जाएगा जब वे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महा-निदेशालय द्वारा जारी 2008 के स्थायी आदेश सं० 04 तारीख 15 दिसंबर, 2008 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा श्रेणी, शेष-1 में हों ।

8. **सेवा करने का दायित्व** -- इन नियमों के अधीन पदों के किसी प्रवर्ग पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए दायी होगा ।

9. **सेवा की अन्य शर्तें** -- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955, उन व्यक्तियों के संबंध में, जो इन भर्ती नियमों के अधीन नियुक्त किए गए हैं, सेवा की उन शर्तों के संबंध में लागू होंगे, जिनके बारे में इन भर्ती नियमों में विशिष्ट रूप से उपबंध नहीं किए गए हैं ।

10. **निरहता** : वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

11. अन्य देशीय पात्रता -- कोई ऐसा व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, केंद्रीय सरकार की लिखित सहमति से ही उन नियमों के अधीन नियुक्त या नियोजित किया जाएगा, अन्यथा नहीं :

परन्तु इस नियम की कोई बात, नेपाल, सिक्किम या भूटान की प्रजा की इन नियमों के अधीन नियुक्ति, नामांकन या नियोजन को वजित नहीं करेगी ।

12. अधिवर्षिता -- (1) उप महानिरीक्षक के पद से ऊपर की पंक्ति का पद धारण किए हुए और उच्चतर अधिकारी, महीने के उस दिन अपराह्न में, जब वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, सेवानिवृत्त होगा और अन्य अधिकारी उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होंगे :

परन्तु यह कि कोई अधिकारी, जिसकी जन्म तिथि मास की पहली तारीख है, साठ वर्ष या सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा ।

13. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

14. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. महा-निदेशक	1* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	शीर्ष वेतनमान 80,000/- रुपए (नियत)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	भारतीय पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(12)
प्रतिनियुक्ति :- भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी, जो 80,000/- रुपए (नियत) के शीर्ष वेतनमान में केंद्र में महानिदेशक पद धारण करने के लिए पैनल पर हैं ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. विशेष महानिदेशक	3* (तीन) (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	एच.ए.जी. + वेतनमान : 75500 - (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) - 80,000/- रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	भारतीय पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा

(12)
प्रतिनियुक्ति :- भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी, जो 75500 - (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) - 80,000/- रुपए के एच.ए.जी. + वेतनमान में केंद्र में विशेष महानिदेशक का पद धारण करने के लिए पैनल पर हैं ।

(13)	(14)
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. अपर महानिदेशक	4* (चार) (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	एच.ए.जी. (+) वेतनमान : 67000 - (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) - 79,000/- रुपए	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	i) 66.2/3% भारतीय पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा । ii) 33.1/3% केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से प्रोन्नति द्वारा ।

(12)

प्रोन्नति द्वारा : केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महानिरीक्षक (वेतन बैंड 4 : 37400-67000, ग्रेड वेतन 10000 रुपए में) के रैंक के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने समूह 'क' में तीस वर्ष की सेवा की है, जिसमें से तीन वर्ष की सेवा महानिरीक्षक के रैंक में होनी चाहिए ।

टिप्पण :

(1) प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्नियुक्ति वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा ।

(2) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :- भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी, जो 67000 - (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) - 79,000/- रुपए के एच.ए.जी. + वेतनमान में केंद्र में अपर महानिरीक्षक का पद धारण करने के लिए पैनल पर हैं ।

टिप्पण :

प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्शिक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्शिक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(13)	(14)
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता
1. सचिव, गृह मंत्रालय	-- अध्यक्ष
2. सचिव (कार्मिक), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	-- सदस्य
3. विशेष सचिव, गृह मंत्रालय	-- सदस्य
4. महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	-- सदस्य
5. किसी अन्य केंद्रीय पुलिस संगठन से एक महानिदेशक (जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-- सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. महा-निरीक्षक (साधारण ड्यूटी)	27* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 4 : 37400-67000, ग्रेड वेतन 10000 रूपए के साथ	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	i) 50% केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कैडर से प्रोन्नति द्वारा। ii) 50% भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(12)

प्रोन्नति द्वारा :

(1) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ऐसे उप महानिरीक्षकों में से (वेतन बैंड 4 : 37400-67000, ग्रेड वेतन 8900 रूपए में), जिन्होंने समूह 'क' में चौबीस वर्ष की सेवा की है, जिसमें उप महानिरीक्षक के रूप में तीन वर्ष की सेवा सम्मिलित है।

(2) महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

(3) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण :

प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्नियुक्त वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :— भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी, जो वेतन बैंड 4 : 37400-67000, ग्रेड वेतन 10000 रूपए के साथ में केंद्र में महानिरीक्षक का पद धारण करने के लिए पैनल पर हैं।

टिप्पण :

प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्नियुक्त वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्नियुक्त वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(13)

(14)

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

1. सचिव, गृह मंत्रालय	— अध्यक्ष
2. महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	— सदस्य
3. किसी अन्य केंद्रीय पुलिस संगठन से एक महानिदेशक (जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा)	— सदस्य
4. विशेष सचिव/अपर सचिव, गृह मंत्रालय	— सदस्य

लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. उप महा-निरीक्षक (साधारण ड्यूटी)	161* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 4 : 37400-67000, धन ग्रेड वेतन 8900 रूपए	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) 80% कैडर अधिकारियों (कमांडेंट) की प्रोन्नति द्वारा । (ii) 18% भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा । (iii) 2% सेवारत सेना अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा या सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों की पुनर्नियोजन द्वारा ।

(12)

प्रोन्नति द्वारा :

(क) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ऐसे कमांडेंट से (वेतन बैंड 4 : 37400-67000, धन ग्रेड वेतन 8700 रूपए में), जिन्होंने समूह 'क' में बीस वर्ष की सेवा की है, जिसमें कम से कम तीन वर्ष की सेवा कमांडेंट के रैंक में हो ।

(ख) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ड्यूटी बटालियन में कमांडेंट के रूप में दो वर्ष की कमान ।

(ग) महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए ।

(घ) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण :

प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्नियुक्ति वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा ।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :— केंद्र या राज् सरकार पुलिस बल या संगठन में भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी, जो वेतन बैंड 4 : 37400-67000, ग्रेड वेतन 8900 रूपए के साथ, पुलिस उप महानिरीक्षक या समतुल्य का पद धारण किए हुए हैं या उस रूप में नियुक्ति के लिए अनुमोदित हैं और ब्रिगेडियर के रैंक में सेवारत सेना अधिकारी ।

टिप्पण :

प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्नियुक्ति वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्नियुक्ति वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

पुनर्नियोजन द्वारा :

ब्रिगेडियर के रैंक में सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों के पुनर्नियोजन द्वारा ।

टिप्पण :

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, सेना अधिकारियों के लिए साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के मामले में, प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित पदावधि नियमों के अनुसार, पांच वर्ष होगी । केंद्रीय सरकार के अधीन सिविल पदों के संदर्भ में पुनर्नियोजन के मामले में, अधिवर्षिता की आयु तक ।

(13)	(14)
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	लागू नहीं होता
1. सचिव/ विशेष सचिव (आई.एस.पी.), गृह मंत्रालय	— अध्यक्ष
2. महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	— सदस्य
3. किसी अन्य केंद्रीय पुलिस संगठन से एक महानिदेशक (जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा)	— सदस्य
4. संयुक्त सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय	— सदस्य
5. कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय का एक नामनिर्दिष्टि	— सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. कमांडेंट (साधारण ज्यूटी)	281* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 4 : 37400-67000, धन 8700 रूपए ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा। <u>टिप्पण :</u> केंद्रीय सरकार विशिष्ट आदेश जारी करके पदों की कतिपय संख्या को भारतीय पुलिस सेवा/सेना अधिकारियों (सेवारत/सेवानिवृत्त) के समतुल्य रैंक के अधिकारियों के लिए विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(12)

प्रोन्नति द्वारा :

(क) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ऐसा सैकेंड-इन-कमांड, जिसने समूह 'क' में सोलह वर्ष की सेवा की है, जिसमें से पांच वर्ष की सेवा सैकेंड-इन-कमांड (वेतन बैंड 3 : 15600-39100, ग्रेड वेतन 7600 रूपए के साथ में) के रैंक में हो।

(ख) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ज्यूटी बटालियन में सैकेंड-इन-कमांड के रूप में दो वर्ष की सेवा।

(ग) महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

(घ) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, यहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण :

प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्शिक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :- सेना से कर्नल रैंक के या भारतीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठ वेतनमान) अधिकारी या अर्द्धसैनिक बलों में समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारी या पुलिस अधीक्षक या समतुल्य पद धारण करने वाले राज्य पुलिस अधिकारी, सशस्त्र पुलिस ड्यूटी का अनुभव रखने वाले अधिकारियों को अधिमानता दी जाएगी, की प्रतिनियुक्ति द्वारा।

टिप्पण :

प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्शिक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्शिक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

पुनर्नियोजन द्वारा :

रक्षा सेवाओं से कर्नल रैंक में सेवानिवृत्त या निर्मुक्त होने वाले अधिकारियों या भारतीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठ वेतनमान) अधिकारियों या पुलिस अधीक्षक या समतुल्य पद धारण करने वाले अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारियों या राज्य पुलिस अधिकारियों, सशस्त्र पुलिस ड्यूटी का अनुभव रखने वाले अधिकारियों को अधिमानता दी जाएगी, के पुनर्नियोजन द्वारा।

टिप्पण :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं। ऐसे व्यक्तियों को उरा तारीख तक, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है/अधिवर्षिता की आयु तक, प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(सिविल पदों के संदर्भ में अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन) !

(13)	(14)
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता
1. महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	-- अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय	-- सदस्य
3. महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	-- सदस्य
4. महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	-- सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. सैंक्रेड-इन-कमांड (साधारण ज्यूटी)	273* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसूचितवर्गीय	वेतन बैंड 3 : 15600-39100, धन 7600 रुपाए प्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा।

(12)

प्रोन्नति द्वारा :

(क) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतन बैंड 3 : 15600-39100, धन 6800 रुपाए प्रेड वेतन में ऐसा उप कमांडेंट, जिल्ले समूह "क" में ग्यारह वर्ष की सेवा की है, जिसमें से पांच वर्ष की सेवा उप कमांडेंट के रैंक में हो।

(ख) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ज्यूटी बटालियन में उप कमांडेंट के रूप में दो वर्ष की सेवा।

(ग) महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

(घ) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। परंतु यह और फिर ऐसे उप कमांडेंट के मामले में फील्ड सेवा की गुणालक अपेक्षा को माफ किया गया समझा जाएगा, जो अखिल भारतीय पुलिस खेलों में बल का प्रतिनिधित्व करते हुए खेल/फ्रीज में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और जो अखिल भारतीय पुलिस खेलों में अपनी प्रतियोगिताओं में प्रथम छह स्थानों में से किसी में आए हैं या जिन्होंने कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाली टीमों के कोच/प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है, या जो प्रशिक्षण संस्थाओं में तैनात हैं।

टिप्पण :

प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संभारना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छह वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्संविद्ध वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उच्चतम आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्कालीन प्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।

[भाग II—खण्ड 3(1)]

(13)	(14)
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलाकर बनेगी :-	लागू नहीं होता
1. महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	— अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय	— सदस्य
3. उप महानिरीक्षक (कार्मिक), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	— सदस्य
4. निदेशक (कार्मिक), गृह मंत्रालय	— सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. उप कमांडेंट (साधारण ज्यूटी)	922* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण सेन्यीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसूचितवर्गीय	वेतन बैंड 3 : 15600-39100, धन 6800 रुपाए प्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा।
टिप्पण :				
केंद्रीय सरकार विशिष्ट आदेश जारी करके पदों की कतिपय संख्या को भारतीय पुलिस सेवा/सेना अधिकारियों (सेवात या सेवानियुक्त) के समतुल्य रैंक के अधिकारियों के लिए विनिर्दिष्ट कर सकेगी।				

(12)

प्रोन्नति द्वारा :

(क) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ऐसा सहायक कमांडेंट, जिसने वेतन बैंड 3 : 15600-39100, 6400 रुपाए प्रेड वेतन के साथ में सहायक कमांडेंट के रूप में छह वर्ष की सेवा की है।

(ख) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ज्यूटी बटालियन में सर्विस कंपनी के कंपनी कमांडर के रूप में दो वर्ष की सेवा।

(ग) महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

(घ) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। परंतु यह और फिर ऐसे सहायक कमांडेंट के मामले में फील्ड सेवा की गुणालक अपेक्षा को माफ किया गया समझा जाएगा, जो अखिल भारतीय पुलिस खेलों में बल का प्रतिनिधित्व करते हुए खेल/फ्रीज में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और जो अखिल भारतीय पुलिस खेलों में अपनी प्रतियोगिताओं में प्रथम छह स्थानों में से किसी में आए हैं या जिन्होंने कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाली टीमों के कोच/प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है, जो प्रशिक्षण संस्थाओं में तैनात हैं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. सैंक्रेड-इन-कमांड (साधारण ज्यूटी)	273* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अनुसूचितीय	वेतन बैंड 3 : 15600-39100, घन 7600 रूपए ग्रेड वेतन	ध्यान	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा।

(12)

प्रोन्नति द्वारा :

(क) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतन बैंड 3 : 15600-39100, घन 6800 रूपए ग्रेड वेतन में ऐसा उप कमांडेंट, जिसने समूह 'क' में ग्यारह वर्ष की सेवा की है, जिसमें से पांच वर्ष की सेवा उप कमांडेंट के रैंक में हो।

(ख) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ज्यूटी बटालियन में उप कमांडेंट के रूप में दो वर्ष की सेवा।

(ग) महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

(घ) जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। परंतु यह और कि ऐसे उप कमांडेंट के मामले में फील्ड सेवा की गुणात्मक अपेक्षा को माफ किया गया समझा जाएगा, जो अखिल भारतीय पुलिस खेलों में बल का प्रतिनिधित्व करते हुए खेल/क्रीडा में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और जो अखिल भारतीय पुलिस खेलों में अपनी प्रतियोगिताओं में प्रथम छह स्थानों में से किसी में आए हैं या जिन्होंने कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर माग लेने वाली टीमों के कोच/प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है, या जो प्रशिक्षण संस्थाओं में तैनात हैं।

टिप्पण :

प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्संशोधित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उच्च आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-					
1. महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल					लागू नहीं होता
2. संयुक्त सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय					— अध्यक्ष
3. उप महानिरीक्षक (कार्मिक), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल					— सदस्य
4. निदेशक (कार्मिक), गृह मंत्रालय					— सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. उप कमांडेंट (साधारण ज्यूटी)	922* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अनुसूचितीय	वेतन बैंड 3 : 15600-39100, घन 6800 रूपए ग्रेड वेतन	ध्यान	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर पुनर्निर्वाणन द्वारा।	
				टिप्पण :	
				केंद्रीय सरकार विशिष्ट आदेश जारी करके पदों की कतिपय संख्या को भारतीय पुलिस सेवा/सेना अधिकारियों (सेवास्त या सेवाविभूत) के समतुल्य रैंक के अधिकारियों के लिए विनिर्दिष्ट कर सकेगी।	

(12)

प्रोन्नति द्वारा :

(क) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ऐसा सहायक कमांडेंट, जिसने वेतन बैंड 3 : 15600-39100, 5400 रूपए ग्रेड वेतन के साथ में सहायक कमांडेंट के रूप में छह वर्ष की सेवा की है।

(ख) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ज्यूटी बटालियन में सर्वोच्च कंपनी के कंपनी कमांडर के रूप में दो वर्ष की सेवा।

(ग) महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

(घ) जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। परंतु यह और कि ऐसे सहायक कमांडेंट के मामले में फील्ड सेवा की गुणात्मक अपेक्षा को माफ किया गया समझा जाएगा, जो अखिल भारतीय पुलिस खेलों में बल का प्रतिनिधित्व करते हुए खेल/क्रीडा में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और जो अखिल भारतीय पुलिस खेलों में अपनी प्रतियोगिताओं में प्रथम छह स्थानों में से किसी में आए हैं या जिन्होंने कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर माग लेने वाली टीमों के कोच/प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है, जो प्रशिक्षण संस्थाओं में तैनात हैं।

टिप्पण :

प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्बिहित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उच्च आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :- सेना से नेजर श्रेणियों के या भारतीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठ वेतनमान) के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस रूप में पांच वर्ष सेवा की है या अर्द्धसैनिक बलों में समतुल्य या सदृश्य पद धारण करने वाले अधिकारी या पुलिस अधीक्षक या समतुल्य पद धारण करने वाले राज्य पुलिस अधिकारी, नेशनल कैंडिडेट कोर की सशस्त्र पुलिस ब्यूटी का अनुभव रखने वाले अधिकारियों को अधिमानता दी जाएगी, जो वेतन बैंड 3 : 15600-39100, 6600 रूपए ग्रेड वेतन से अनुभव का पद धारण किए हुए हैं या होम गार्ड्स और रिजर्विड खास संगठन में वेतन बैंड 3 : 15600-39100, 6600 रूपए ग्रेड वेतन के साथ में पद धारण किए हुए हैं, की प्रतिनियुक्ति द्वारा।

टिप्पण :

प्रतिनियुक्ति/आगेलन आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्बिहित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उच्च आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/ वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्बिहित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए यह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

पुनर्नियोजन द्वारा :

ऐसे सेवानिवृत्त या निर्मुक्त सेना अधिकारियों को, जो समतुल्य श्रेणियों के अधिकारी सेना के अधिकारी नेजर या भारतीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठ वेतनमान) या उच्च रूप में चार वर्ष की सेवा या अर्द्धसैनिक बलों के ऐसे अधिकारियों, जो पुलिस अधीक्षक या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं, सशस्त्र पुलिस ब्यूटी का अनुभव रखने वाले अधिकारियों को अधिमानता दी जाएगी, के पुनर्नियोजन द्वारा।

(13)	(14)
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता
1. महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	- अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय	- सदस्य
3. उप महानिरीक्षक (कार्मिक), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	- सदस्य
4. उप सचिव/निदेशक, गृह मंत्रालय	- सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. सहायक कमांडेंट (साधारण खबूटी)	2170* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह "क"; राज्यपत्रित, अनुसूचित्वीय	वेतन बैंड 3 : 15600-39100, 5400 रूपए ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं होता

(7)

(i) 20 से 25 वर्ष के बीच (सर्कारी सेवकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार स्थिति की जा सकती है।)

(ii) आयु-सीमा अद्यतित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी, जो सहायक कमांडेंट (केंद्रीय पुलिस बल) परीक्षा के नियमों में केंद्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, उपरबिहित की जाए।

(8)

(i) आवश्यकतः

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या समतुल्य।

(ख) शारीरिक और शिक्षित मानवर्द्ध :

	पुरुष	स्त्री
ऊंचाई	165 सेंटीमीटर	157 सेंटीमीटर
सौन	81 सेंटीमीटर (बिना फुलाए) 86 सेंटीमीटर (फुलाने पर)	लागू नहीं होता
भार	50 किलोग्राम	ऊंचाई के अनुसार, परंतु 46 किलोग्राम से कम नहीं हो।

(2) दृष्टि (घरने सहित या सहित) :-

दूर दृष्टि		निकट दृष्टि	
अच्छी आँख	खराब आँख	अच्छी आँख	खराब आँख
(सही दृष्टि)	(सही दृष्टि)	(सही दृष्टि)	(सही दृष्टि)
6/6	6/12	जे. 1	जे. 2
या	या	या	या
6/9	6/9		

अभ्यर्थी के पैर अंशानु या सपाट या आँखों से त्रिवर्ण नहीं होना चाहिए और उनकी रंगदृष्टि उच्च होनी चाहिए। अभ्यर्थी का रंगदृष्टि के लिए, इशाइया परीक्षण के साथ एडरोच-ग्रीन लेनटेन परीक्षण से परीक्षण किया जाएगा। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और उनमें कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में रुकावट पैदा करने वाली कोई शारीरिक विकृति नहीं होनी चाहिए।

(ii) योचनीय :

एनओसी(सी) (नेशनल केडेट कोर) “बी” प्रमाणपत्र या “सी” प्रमाणपत्रकारी होना चाहिए।

(iii) परीक्षा आदि की योजना यह होगी, जो सहायक कमान्डेंट (केंद्रीय पुलिस बल) परीक्षा के नियमों में केंद्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, उपबंधित की जाए।

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	(i) 50% संच लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 33% प्रोन्नति द्वारा। (iii) 17% सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा। सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में कोई कमी प्रोन्नति द्वारा भरी जाएगी।

(12)

प्रोन्नति द्वारा :

(क) ऐसे सुबेदार मेजर/निरीक्षक, जिन्होंने श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और ज्येष्ठ निरीक्षण केडर पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है।

(ख) महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर विहित पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

(ग) ड्यूटी बटालियन में सर्विस कंपनी के निरीक्षक के रूप में दो वर्ष की सेवा।

(घ) जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा को आगे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो : परंतु यह और कि ऐसे निरीक्षक/सुबेदार मेजर के मामले में फील्ड सेवा की गुणालोक अंशका को माफ किया गया समझा जाएगा, जो अखिल भारतीय पुलिस खेलों में बल का प्रतिनिधित्व करते हुए खेल/क्रीडा में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और जो अखिल भारतीय पुलिस खेलों में अपनी प्रतियोगिताओं में प्रथम छह स्थानों में से किसी में आए हैं या जिन्होंने कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाली टीमों के कोच/प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है, जो प्रशिक्षण संस्थाओं में तैनात हैं।

टिप्पण :

प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्नियमित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित हस्त्यानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।

सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा :

(क) ऐसा उप निरीक्षक/निरीक्षक, जिसने प्रशिक्षण सहित चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, पात्र होगा।

(ख) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए ऊपरी आयु सीमा पैंतीस वर्ष होगी। अपेक्षित सैक्षिक अर्हता स्नातक होगी जो सहायक कमान्डेंट की सीधी भर्ती के लिए भी अर्हता है।

(ग) सेवा का स्वच्छ रिकार्ड।

(घ) शारीरिक मानदंड वही होंगे जो सहायक कमान्डेंट (सीधी भर्ती) को लागू हैं।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

ऐसे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो सेना में कैंपेन या राज्य में सहायक पुलिस अधीक्षक या पुलिस उप अधीक्षक का पद धारण किए हुए हैं या ऐसे निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति या प्रोन्नति द्वारा, जो राज्य पुलिस में पुलिस उप अधीक्षक या समतुल्य पदों पर प्रोन्नति के लिए सूची में हैं या निरीक्षक या समतुल्य पदों को अधिल्यायी रूप धारण किए हुए हैं।

टिप्पण :

प्रतिनियुक्ति/आमेतन आधारित नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्नियमित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित हस्त्यानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, विधाय उस वषा के, जहाँ एक पं. अधिक पूर्व-पुनर्नियमित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में घिसा हो गया है, और जहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके

(विनाके) लिए वह गेड वेतन/वेतनमान बिना किसी चन्पनन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

पुनर्निर्वाहक द्वारा :

ऐसे सेवापिपुत्र या निरुपुत्र सेवा अधिकारियों के, जो कौटन की रैंक का पर धारण किए हुए हैं या सेवापिपुत्र पुलिस अधिकारी या बल के अधिकारी, जो पुलिस त्तप अमीहाक या समतुल्य रैंक धारण किए हुए हैं, के पुनर्निर्वाहक द्वारा।

(13)	(14)
प्रोन्ति के लिए और सीधे मर्ती के पुष्टिकरण का विचार करने के लिए समुह "क" विभागीय प्रोन्ति समिति :-	तमू नहीं होता
1. महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	- अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	- सदस्य
3. उप महानिरीक्षक (कार्मिक), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	- सदस्य
4. उप सचिव/निदेशक, गृह मंत्रालय	- सदस्य
केंद्रीय पुलिस संगठन में सहायक कमांडेंट के रूप में सीधी मर्ती/अल्प सेवा कर्मोचान अधिकारियों के लिए सम्मिलित चयन बोर्ड	
1. किसी केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल का महानिदेशक	- अध्यक्ष
2. किसी केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल का अपर महानिदेशक/ महानिरीक्षक	- सदस्य
3. गृह मंत्रालय का एक अधिकारी, जो उपसचिव की पंक्ति से नीचे का न हो	- सदस्य
4. किसी केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल का उप महानिरीक्षक	- सदस्य

[फा. सं. पी. VII. 1/2009-कार्मिक]

बहण कुमार साहू, निदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2010

G.S.R. 679(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 of Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force Group "A" (General Duty) Officers Recruitment Rules, 2001, except, as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government